

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1688 /2020 दिनांक : 09.09.2020

श्री अतुल कुमार सक्सेना (RJ0118), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को दिनांक 17.08.2020 से 31.08.2020 तक 15 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) दिनांक 16.08.2020 के राजपत्रित अवकाश एवं 01.09.2020 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सक्सेना की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़/विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, झालावाड़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
 9/9/2020

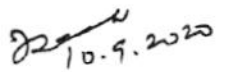
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/14/1993/ 3782

दिनांक : 10.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को उनके पत्रांक 2806 दिनांक 02.09.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री अतुल कुमार सक्सेना (RJ0118), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, झालावाड़।

 10.9.2020
सहायक रजिस्ट्रार